

**न्यायालय उप जिलाधिकारी फरीदपुर जिला बरेली ।**

कार सं 10/12  
राजेन्द्र कुमार गुप्ता

बनाम

पार 143 जैड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट  
सरकार  
ग्राम गौसगंज सराय  
पर 0 व तह 0 फरीदपुर जिला बरेली ।

**नकल निर्णय आदेश दिनांक 13-3-12**

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता गैमोरियल ट्रस्ट 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालोनी सिविल लाईन बरेली द्वारा ट्रस्टी मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व 0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालोनी सिविल लाईन बरेली ने प्रार्थना पत्र, खतौनी वर्ष 1418 से 1421 फरवरी ग्राम गौसगंज सराय एवं शपथ पत्र सलान करके दिये धारा 143 जैड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत ग्राम गौसगंज सराय स्थित भूमि खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657 हे० लगान 15.12 पी० भूमि को शैक्षणिक संस्थान के प्रयोग हेतु अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है । प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फरीदपुर से जाँच कर आख्या प्राप्त की गयी । तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 13.01.2012 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है ।

पैरे द्वारा पत्रावली पैर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 13.01.2012 का मती भाँति अवलोकन किया गया । स्पष्ट है कि आराजी स्थित ग्राम गौसगंज सराय पार 0 व तह 0 फरीदपुर जिला बरेली के खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657 हे० लगान 15.12 पी० भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना सुझावित प्रतीत होता है ।

**आदेश**

अत आदेश किया जाता है कि तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 13.01.2012 के आधार पर आराजी स्थित ग्राम गौसगंज सराय पार 0 व तह 0 फरीदपुर जिला बरेली के खाता संख्या 83 गाटा संख्या 371 रकबा 0.657 हे० लगान 15.12 पी० भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है । जाविअन भूमि कावस्था अधिनियम की धारा 143 तदविषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत आदेश किया जाता है कि आदेश की दो प्रतियाँ उप निबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि प्रश्नगत भूमि को निशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें तदोपरान्त खतौनी में प्रविष्टि हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक 13.03.2012

*इस्तासूर कुमार*

(रवीन्द्र कुमार)  
उप जिलाधिकारी,  
फरीदपुर

*मोक्ष राजा*  
108  
13-3-12  
13-3-12  
148  
संग सं 210 141

सत्य रवि 13-3-12



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : फरीदपुर  
वाद संख्या : -03289/2018  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201812130303289  
राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार  
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल निर्णय आदेश दिनांक 28-11-18

इस वाद की कार्यवाही श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी खाता सं० 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393हे० स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा शिक्षण संस्थान हेतु अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित है कि ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं० 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393हे० पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं० 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393हे० उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2018 के अनुसार आगणित शुल्क 31,050/- जो संलग्न पत्रावली धालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में दिनांक 27.11.2018 को जमा किया जा चुका है। तहसीलदार फरीदपुर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार फरीदपुर की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 एवं

23






आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : फरीदपुर  
वाद संख्या : 03289/2018  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201812130303289  
राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार  
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

तहसीलदार फरीदपुर की जाच आख्या दिनांक 19.11.2018 स्वीकार की जाती है। भूमि स्थित ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं० 38 गाटा संख्या 372 रकबा 0.393 हे० अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- नवंबर 28, 2018.

  
र.अ. (राकेश सिंह)  
उपजिलाधिकारी 28.11.18  
फरीदपुर

ल.सं. 214 (2) 28-11-18  
01-12-18  
ल.सं. 380 71



~~विस्तृत~~  
~~विस्तृत~~  
~~विस्तृत~~  
~~विस्तृत~~



पृष्ठ संख्या :

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली) ।

वाद सं० टी 20141213032824

धारा-143 यू०पी० जैड० ए० एल० आर० एक्ट  
ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील  
फरीदपुर जिला बरेली।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार

उक्त निर्णय आदेश दिनांक 28-8-14

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट 19 एम०आई०जी० आवास विकास कालौनी बरेली ने दिनांक 21-03-2014 को प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड० ए० एल० आर० एक्ट एवं उसके साथ संलग्न उद्घरण खतौनी 1416 फ० से 1421 फ० ग्राम गौसगंज सराय खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकबा 0.082 है० लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जनपद बरेली का काबिज मालिक व दखील है। वादग्रस्त आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25-08-2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौसगंज सराय खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकबा 0.082 है० लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल में आकृषिक औद्योगिक/आबादी हो गयी है को, धारा-143 ज० वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25-08-2014 के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकबा 0.082 है० भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज० वि० अधि० की धारा-143 तदविषयक नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28-08-2014

हस्ताक्षर (उमेश कुमार मंगला)  
उप जिलाधिकारी,  
फरीदपुर।

7/1  
11-11-14  
11-11-14  
11-11-14

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं० ०७ / 2008-09

धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट  
ग्राम : गौसगंज सराय परगना व  
तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार  
अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता

एकल निर्णय आदेश क्रि.सं. ३११-०९

प्रस्तुत वाद श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट, 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी सिविल लाईन्स बरेली द्वारा ट्रस्टी अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी, 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालौनी, बरेली ने दिनांक 08.12.2008 को एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न सन फ0-1410-1415 फ0 ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर के गाटा सं० 375 रकवा 0.5240हे, गाटा सं० 376 रकवा 0.5260, गाटा सं० 381 रकवा 0.6860, गाटा सं० 382 रकवा 0.339 हे0, गाटा सं० 383 रकवा 0.3200हे0, गाटा सं० 384 रकवा 0.6860, गाटा सं० 387 रकवा 0.5720हे0, गाटा सं० 388 रकवा 0.5720हे0, गाटा सं० 389 0.1900 हे0, गाटा सं० 390 रकवा 0.1900 हे0, गाटा संख्या 391 रकवा 0.1910 हे0, गाटा सं० 392 रकवा 0.1140 हे0, गाटा सं० 393 रकवा 0.4570 हे0, गाटा सं० 394 रकवा 0.4580हे0 कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा की प्रति प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि उक्त भूमि शिक्षण संस्थान निर्माण प्रयोग आबादी हेतु लाई जा रही है अतः कृषि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर आकृषिक भूमि घोषित कराना चाहते हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 19.01.2009 द्वारा यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं० 375 रकवा 0.5240हे, गाटा सं० 376 रकवा 0.5260, गाटा सं० 381 रकवा 0.6860, गाटा सं० 382 रकवा 0.339 हे0, गाटा सं० 383 रकवा 0.3200हे0, गाटा सं० 384 रकवा 0.6860, गाटा सं० 387 रकवा 0.5720हे0, गाटा सं० 388 रकवा 0.5720हे0, गाटा सं० 389 0.1900 हे0, गाटा सं० 390 रकवा 0.1900 हे0, गाटा संख्या 391 रकवा 0.1910 हे0, गाटा सं० 392 रकवा 0.1140 हे0, गाटा सं० 393 रकवा 0.4570 हे0, गाटा सं० 394 रकवा 0.4580हे0 कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा का उपयोग कृषि कार्य लागतानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल आकृषिक आबादी हो गई है, क्योंकि मीके पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य हो रहा है, चारों ओर पक्की बाउन्ड्री हो गई है, जो धारा 143 ज0ए0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 135 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।



For Smt Rajendra Trust  
President

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी कृषि उधानकरण मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन के लिये प्रयोग हो रही है। इसलिए तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 19.01.2009 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को आकृषिक भूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

**आदेश**

अतः उपरोक्त के आधार पर ग्राम गौसर्गज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली स्थित आराजी गाटा सं० 375 रकबा 0.5240हे, गाटा सं० 376 रकबा 0.5260, गाटा सं० 381 रकबा 0.68860, गाटा सं० 382 रकबा 0.339 हे०, गाटा सं० 383 रकबा 0.3200हे०, गाटा सं० 384 रकबा 0.68860, गाटा सं० 387 रकबा 0.5720हे०, गाटा सं० 388 रकबा 0.5720हे०, गाटा सं० 389 0.1900 हे०, गाटा सं० 390 रकबा 0.1900 हे०, गाटा संख्या 391 रकबा 0.1910 हे०, गाटा सं० 392 रकबा 0.1140 हे०, गाटा सं० 393 रकबा 0.4570 हे०, गाटा सं० 394 रकबा 0.4580हे० कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा क्षेत्रफल को आकृषिक घोषित किया जाता है। जोवि०अधि० की धारा 143 तदविषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आधार से भेजी जाये कि वे प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क आकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायमालय को कक्षा नं० 100/2009 दिनांकी में प्रेषित हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को भेजी जाये। वाद आवश्यक शर्तवाची पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21-01-2009



हस्ताक्षर **मुनीष कुमार शर्मा**  
( मुनीष कुमार शर्मा )  
उप जिलाधिकारी, फरीदपुर।



21-01-09  
630  
21-01-09  
71-

सत्य ही ही अक्षय  
71-01-09  
दिनांक 71-01-09



**President**  
Sri Poojari Memorial Trust

